




8



HARKHAND



03AA 644773

प्रतिलिपि

26/06/19

E

प्रसाद प्रसाद राज्य संघर्षकारी काम करने वाले नामों

शहौदारी काम करने वाले नामों

विक्रेता का नाम

जाति-सुन्दरी

उम्र- 46 वर्ष

गांव- बाबूलालपुर

पत्र सं- 9409

दिनांक- 26/06/19

प्रसाद प्रसाद

जाति-सुन्दरी

उम्र- 46 वर्ष

गांव- बाबूलालपुर

पत्र सं- 9410

दिनांक- 26/06/19

प्रसाद प्रसाद

जाति-सुन्दरी

उम्र- 46 वर्ष

गांव- बाबूलालपुर

पत्र सं- 9411

दिनांक- 26/06/19

(1) विक्रेता का नाम एवं पुरा पता :-

जयंत प्रसाद पिता खड़ो वेचन प्रसाद, जाति-सुन्दरी, जो सी० एन० टी० एक्ट की

धारा 46 (बी) में उल्लेखित पिछड़ी जाति की सूचि से बाहर है जिस आशय का

शपथ पत्र सं- 9409 दिनांक- 26/06/19 दिया जा रहा है।

निवास स्थान- तपाखाश, मैने रोड लातेहार, पोस्ट एवं थाना-लातेहार,

जिला-लातेहार, राज्य-झारखण्ड, पेशा-खेती, राष्ट्रीयता- भारतीय। शपथ पत्र

सं- 9410 दिनांक- 26/06/19 दिया जा रहा है।

(2) क्रेता का नाम एवं पुरा पता :-

शीला देवी पति सुनील कुमार पाण्डेय, जाति-ब्राह्मण, निवास स्थान-धर्मपुर, पोस्ट एवं थाना-लातेहार, जिला-लातेहार, राज्य-झारखण्ड, पेशा-गृहिणी, राष्ट्रीयता-भारतीय। शपथ पत्र सं० १५।। दिनांक २६।०६।२०१९ समक्ष लेख्य प्रमाणक लातेहार दिया जा रहा है।

(3) लेख्य प्रकार:-

विक्रय पत्र । (DEED OF SALE)

(4) तायदाद जरसमन :-

मो० 4,99,000/- चार लाख निनान्वे हजार रुपये मात्र।

(5) जमीन का विवरण:-

एराजी X-03 डी० (तीन डीसमील) जमीन आवासीय लायक, हकियत रैयती मौलशी नीजी-हिस्से तर्के में आपसी बंटवारा के तहत प्राप्त जायदाद, वाके मौजा-चन्दनडीह, थाना-लातेहार, जिला-लातेहार, अन्दर सबडिवीजन वो जिला रजिस्ट्री कचहरी मोकाम लातेहार वो अन्दर अधिसूचित क्षेत्र समिति, लातेहार। शै मोबईया सम्बन्धित ग्राम में अन्य सड़क पर अवस्थित है जिसका तफशील विवरण निम्न प्रकार है :-

मौजा	थाना एवं थाना नं०	तौजी नं०	खेकट नं०	अंचल	जमाबन्दी नं०	वार्ड नं०	पेज नं०	भौलुम नं०
चन्दनडीह	लातेहार 248	51	01	लातेहार	12	11	12	1

खाता नं० पलौट नं० रकवा

12 243 x-03 डी०
बारह दो सौ तैनालीस

पैमाईश- उत्तर से दक्षिण 48 फीट लम्बा
पुरब से पश्चिम 27.4 फीट चौड़ा

चौहदी

उत्तर-रास्ता प्रस्तावित 8 फीट
दक्षिण-क्रेता नीज का बाऊण्डी
पुरब-विक्रेता नीज
पश्चिम-विक्रेता नीज

01 01 x-03 डी०

जमा रकवा तीन डीसमील मात्र।

26/6/19



ठाकुर राजेश कुमार
प्रिया उपचिन्द्र प्रसाद
परम विजय उपचिन्द्र
बृहत् विजय
बृहत् विजय

शै मोबईया में किसी किस्म का कोई सरंचना नहीं है वो शै मोबईया टाउन लीज से मुक्त वो सिलिंग एरीया से बाहर है जो बन्दोबस्ती एवं भुदान की जायदाद नहीं है जो वन सीमा से बाहर है।

सालाना माल:-

मो 0.50-(पचास) पैसा मात्र।

लगान पानेवाला झारखण्ड सरकार अंचल कार्यालय-लातेहार, जिला- लातेहार।

यह कि मुन्दर्ज खाना पांचवा का वर्णित सम्पति विक्रेता की हकियत रैयती मौरुशी जायदाद है जो विक्रेता को आपसी बंटवारा के तहत प्राप्त हुआ है जिसका मौजुदा डिमान्ड विक्रेता के परदादा स्व० झौड़ी साहु के नाम से जमावन्दी नं०-12, पेज नं०-12 भौलुम नं०-१ के तहत चल रहा है वो रसीद कट रही है जिसपर विक्रेता वर्तमान में बहैसियत जायज मालिक के कायम वो काविज दखलकार चले आते हैं वो है वो विक्रेता को मालिकाना अधिकार प्राप्त है।

यह कि उक्त जायदाद कैडस्ट्रॉल सर्वे खतियान में विक्रेता के परदादा स्व० झौड़ी साहु पिता हरदयाल साहु के नाम से दर्ज पाया है।

सरेदस्त विक्रेता को चन्द जरूरी खर्च हेतु रूपये की दरकार है जिसकी व्यवस्था हेतु विक्रेता के पास सिवाय जमीन विक्री करनें के कोई दुसरा उपाय नहीं है इस गरज से विक्रेता ने भूमि विक्री का एलान किया जिसके उपरान्त क्रेता ने विक्रेता से सम्पर्क साधकर उक्त भूमि को खरीदनें की इच्छा प्रकट किये वो क्रेता के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि विक्रेता काली रोड धर्मपुर से बुनियादी विद्यालय के सामने से खाना पांचवा में वर्णित भूमि तक 10 फीट का रास्ता की व्यवस्था करेंगे जिसपर विक्रेता तैयार हो गये एवं रास्ता का प्रबन्ध होने के बाद विक्रेता एवं क्रेता के दरमियान उक्त भूमि की खरीद विक्री का बातचीत पक्का हुआ एवं जरसमन की राशि मो 499000/-चार लाख निनान्वे हजार रूपये निर्धारित किया गया।

तत्पश्चात तारीख तहीर के दिन विक्रेता क्रेता से मो 499000/-चार लाख निनान्वे हजार रूपये जरसमन पाकर खाना पांचवा की जायदाद को क्रेता के हांथों बेचा वो केवाला बैयला कलामी किया वो उससे अपना कब्जा दखल हक्क हक्कूक उठाकर क्रेता को कब्जा दखल देकर दखलकार कर दिया।

अब चाहिए कि क्रेता खाना पांचवा में वर्णित जायदाद को अपनें कब्जा दखल में लाकर अपनें मसरफ में लावें, सकुनती मकान तामीर करें, या जो उचित समझे करें। क्रेता को अधिकार है कि वे शै दस्तावेज के आधार पर अंचल कार्यालय में अपना नाम से दाखिल खारीज कराकर सालाना माल देकर वसूली की रसीद साल बसाल ले लिया करे उसमें विक्रेता या उनके वारिशानों को कोई

26/6/19

मालान्वे दखलकार क्रेता विक्रेता जायदाद भूमि विक्री करने की अपीली

उजूर वो एतराज नहीं है वो ना आईन्दा कभी होगा। शै केवाला हर तरह से पाक साफ है।

शै जमीन में किसी भी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होती है तो उसका जिम्मेवार विक्रेता होंगे एवं होने वाले विवाद का निपटारा भी विक्रेता करेगा।

शै मोबईया का नक्शा दस्तावेज के साथ संलग्न है जिसमें बिक्री की जानें वाली भूमि लाल रंग से दर्शाया गया है जो दस्तावेज का एक अंग है।

इसलिए विक्रेता अपनी खूशी राजी से यह वसीका केवाला विक्रय पत्र बनाम वो बहक क्रेता के पक्ष में लिख दिया की सनद रहे वो समय पर काम आवे। फक्त:-

१०२५
२६/६/१९



[Signature]
AAW

26/06/2019. २१८१९८१

26/6/19

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है के बाये हाथ के अंगूलियों के निशान मेरे सामने लिया गया है।

कार्तिक:-

सृष्टि अनन्धक

वसीका नवीस,

लातेहार कॉट,

जिला- लातेहार,

ता० २६/६/१९

मजमुन दोनों पक्षों को पढ़कर सुना दिया। वे बोलें की ठीक है।

मो. ८०००७७७९९८८८८

मैज्जा - चक्रवर्णनीहु

भाना कं० - २४८

भाना - लातेहार

जिला - लातेहार

पैमाना - $16'' = १$ मील

संकेत - विक्री भीष्मभि लाल संग से □



खाता	ट्रैक	रकम	क्रेडिट
१२	२४३	०.०३ रु०	

उ० शहर प्रसारित ८ रु०

द० जीता नीज का बांड़ी


प० विक्रीता नीज

प० विक्रीता नीज



विक्रीता - जयपुर

क्रेता - गोला



विक्रीता

प्रसारित

विक्रीता
प्रसारित

